संख्या बीमा-959/दस-93-189(ए)-89

प्रेषक;

श्री सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 जून, 1993

विषय :--"उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं बीमा आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत मासिक अभिदान की दर तथा उसके विरुद्ध प्रदत्त बीमा आच्छादन के निर्धारण विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/निर्देशों/स्पष्टीकरणों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल दिनांक 1 जुलाई, 1993 से उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नियमित अधिष्ठान में नियुक्त समस्त पूर्णकालीन स्थायी एवं अस्थायी सेवकों (पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) पर लागू "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना" के उद्देश्यों हेतु वेतनमानों को निम्नानुसार वर्गीकृत करते हुये उनके सम्मुख अंकित दर से मासिक अभिदान की कटौती करने और तदनुसार मासिक अभिदान की धनराशि के एक हजार गुना धनराशि का बीमा आच्छादन प्रदान किए जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं :--

	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की राशि	बचत निधि पर देय ब्याज की दर
		रु0	रु0	रु0	रु0	
(1)	वेतनमान का अधिकतम रु0 4001 या इससे अधिक	120.00	36.00	84.00	1,20,000	12 प्रतिशत त्रैमासिक चक्रवृद्धि
(2)	वेतनमान का अधिकतम रु0 2300 से रु0 4000 तक	60.00	18.00	42.00	60,000	तदैव
(3)	वेतनमान का अधिकतम रु0 2299 तक	30.00	9.00	21.00	30,000	तदैव

2--यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण सेवासमूहों के वर्गीकरण से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं है, अपितु यह वर्गीकरण केवल सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तक ही सीमित है।

3--अग्रेतर पूर्व निस्तारित किसी भी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।

4--कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित को अवगत करा दें और इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय;

सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव।

संख्या बीमा-959(1) / दस-93-189(ए)-89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग;
(2) विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश;
(3) श्री राज्यपाल का सचिवालय;
(4) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ;
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश;
(6) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, इलाहाबाद;
(7) निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ तथा
(8) प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव
अनु सचिव ।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 39 सा0 वित्त--29-6-93--(793)--1993--12,000 (हि0)